सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1069 राँची, मंगलवार, 4 दिसम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

30 नवम्बर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-89/2015-2831(HRMS)-- श्री प्रेमचन्द कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चलकुशा, हजारीबाग के विरूद्ध उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, हजारीबाग के पत्रांक-2006/जि०ग्रा०,दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 द्वारा गठित आरोप प्रपत्र- 'क' ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-2692, दिनांक 8 दिसम्बर, 2015 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया । श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में आरोप प्रतिवेदित किया गया कि इनके द्वारा मनरेगा, इन्दिरा आवास एवं NRLM योजनाओं के कार्यान्वयन में रूचि नहीं लिया जा रहा है तथा उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-316, दिनांक 13 जनवरी, 2016 द्वारा श्री सिन्हा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री सिन्हा के पत्रांक-579, दिनांक 10 सितम्बर, 2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-10146, दिनांक 30 नवम्बर, 2016 द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग से मंतव्य की माँग की गयी । उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-426/स्था०, दिनांक 3 अप्रैल, 2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, हजारीबाग के मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि श्री सिन्हा द्वारा मनरेगा एवं निर्मल भारत योजना के अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती गई है ।

अतः समीक्षोपरांत, श्री प्रेमचन्द कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चलकुशा, हजारीबाग के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (i) के तहत् सेवा सम्पुष्ट की अर्हत्ता प्राप्त करने की तिथि से ''निन्दन'' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	PREMCHAND KUMAR SINHA JHK/JAS/175	श्री प्रेमचन्द कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चलकुशा, हजारीबाग को सेवा सम्पुष्ट की अर्हत्ता प्राप्त करने की तिथि से ''निन्दन'' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 1069 -- 50